

पंचायती वोटिंग महु भोंकला पर पेशा

बन्धु वादी नन्दा उपारियत। ताहू सीलदार

ने मोवा बलवाडा प्रस्ताव पेश किया गया

वादी बलवाडा प्रस्ताव से सहमत है।

अना आदेश दिया जाता है कि शासक महुमा

वाला के लिये लिखित अनुसार कारतवा से ले

अलग अलग नाम राजस्व रेकार्ड में

अंकित करें।

1- श्री नन्दापिता कल्याण दर्जी सांवेह

अ.न. संख्या

1309 1.04

1310 0.17

1231 0.01

1296 0.09

1297/2 0.10

5 3.01

2- श्री कल्याण पिता कल्याण दर्जी सांवेह

1309/1 1.04

1310/1 0.10

1291/1 0.13

1296/1 0.05

1297/1 0.09

5 3.01

3- श्री दिनेश पिता कल्याण दर्जी सांवेह

1307/1 - 0.11

2762 - 0.03

1307

1297 - 2.07

3 3.01

4- श्री लहरी पत्नी श.न. कल्याण दर्जी

1311 1.07

1307 1.13

2 3.00

⑤ शामलाती शवाता रैहगा

आ. न शकवा

1308 0.03

स्वर्ग कारेकेन अपना अपना वाहन
को।

आज दिनांक 18.5.16 को कोर्टनेम्प
महसुसा कला से सरेशाम सुनाया जाया।

पनापला कैशाल सुमार होकर 1 नम्बर
मे काम हो।

(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत

उपग्रन्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर श्रीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उम्मेद सिंह राजावत

श्री नन्दा पुत्र कल्याण दर्जो महुआ कला **उनवान**, श्री दिनेश पुत्र श्री कल्याण दर्जो नि. महुआ कला
बनाम

दावा बाबत 53-54

- 2 श्री कल्याण पुत्र कल्याण दर्जो - 11 -
- 3 श्रीमती लहरी देवी कल्याण - 11 -
- 4 लहरी देवी श्रीलवाड़ा

मुकदमा नम्बर :- 134/13

निर्णय दिनांक :- 18.5.16

वादी की ओर से शुभ की व प्रतिवादी की ओर से -
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.5.16 को महुआ कला (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया

जा है और डिक्री दी जाती है कि -

श्रीम महुआ कला के तल्ले लिखित आराजी शवातेदार के
राजर्ज शवातेदार में अलग-अलग नाम दर्ज कर /

① श्री नन्दा पिता कल्याण दर्जो देह ② केलारा पिता कल्याण दर्जो

श्री. नं.	शकल	श्री. नं.	शकल
1309	1.04	1309/1	1.04
1310	0.07	1310/1	0.10
1291	0.01	1291/1	0.13
1236	0.03	1296/1	0.05
		1297/1	0.09
		<u>5</u>	<u>3.01</u>

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
1297/2 0.10
5 3.01 पिछे भविष्य

यह आज तारीख 18.5.16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

लहरी देवी श्रीलवाड़ा
को भोज कर लेख है कि
डिक्री अनुसार पालन करे
(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

(उम्मेद सिंह राजावत)
(लोक अदालत)
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर एवं
पदेन सहायक कलक्टर.....